<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–01, मेरठ।</u>

दाण्डिक परिवाद सं0– 23980/2022

विपिन सिरोही बनाम श्रीमती रेशमा

धारा– 138 एन.आई.एक्ट

थाना– नौचन्दी, जिला मेरठ।

<u>दिनांक–11.08.2025</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार करायी गयी। परिवादी अनुपस्थित।

प्रश्नगत प्रकरण में तलबी आदेश पारित किया जा चुका है परन्तु परिवादी विगत काफी समय से उपस्थित नही आ रहा है और न ही उसकी ओर से परिवाद की पैरवी की जा रही है, न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत योजित परिवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है परन्तु परिवादी को उपस्थित होने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात भी वह अनुपस्थित रहा है। इस सम्बन्ध में धारा–256 दं.प्र.सं. का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्नवत है–

धारा–256 दं०प्र०सं० में उल्लिखित है कि– परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु (1) यदि परिवाद पर सम्मन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चात्वर्ती किसी दिन, जिसके लिये सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजिर नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुये भी अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिये मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे।

प्रश्नगत प्रकरण में परिवादी विगत काफी समय से उपस्थित नही आ रहा है और न ही परिवाद में पैरवी की जा रही है। जिससे विदित है कि परिवाद के संचालन में परिवादी अब रूचिबद्ध नही है। अतः प्रस्तुत प्रकरण को अब चलाये जाने का कोई औचित्य विद्यमान नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही इस प्रक्रम पर समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(नाहिद सुल्ताना)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या–01, मेरठ।
(J.O. Code No. UP 2046)